अधिष्ठान व्यय हेतु आवंटन 13 अंकों का कोड–2225030010300

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

1. उपनिदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवम् गोरखपुर।

2. आहरण वितरण अधिकारी,
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्ड़ा, बलरामपुर, बहराइच एवम् श्रावस्ती (75 जनपद)।

पत्रांक/001डीबीए/ 117 /पि0व0क0/अधि0आवं0/2016–17 लखनऊःदिनांकः 29 अप्रैल, 2016

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 79 के अधीन लेखाशीर्षक, 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय / मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या 6/2016/188/64–2–2016–1(01)/2016 दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार रू0 5,31,99,500 (रूपया पांच करोड़ इकत्तीस लाख निन्नानबे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों को निम्नलिखित शर्तो एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती हैः–

जनपद–आगरा कोषागार से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा, मुरादाबाद कोषागार से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, कानपुर नगर कोषागार से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर, इलाहाबाद जनपद से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद तथा लखनऊ कलेक्ट्रेट कोषागार से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय का आहरण विभागीय डी0डी0ओ0 कोड संख्या 4702 से किया जायेगा। उक्त जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों के बजट आबंटन का विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि रूपये में)

	01 वेतन	02 मजदूरी	03 मं0 भत्ता	04 यात्रा व्यय	06 अन्य भत्ते	08 कार्यालय व्यय	09 विद्युत देय	11 लेखन सामग्री	12 का0 फनीचर	13 टेलीफोन पर व्यय	15 पेट्रोल	16 व्यवसायिक	47 क0 अनु0	योग
इलाहाबाद कोषागार														
जि0पि0व0क0अधि0 इलाहाबाद	503000	100000	620000	5000	58000	10000	0	5000	0	0	100000	10000	20000	1431000
उपनिदेशक पि0व0क0 इलाहाबाद मण्डल	450000	0	562000	5000	55000	10000	0	5000	0	5000	100000	0	5000	1197000
योग इलाहाबाद कोषागार	953000	100000	1182000	10000	113000	20000	0	10000	0	5000	200000	10000	25000	2628000
आगरा कोषागार							0		0					
जि0पि0व0क0अधि0 आगरा	275000	100000	340000	5000	30000	10000	0	10000	0	0	100000	0	20000	890000
उपनिदेशक पि0व0क0आगरा मण्डल	180000	0	225000	5000	20000	5000	0	2000	0	5000	0	0	5000	447000

योग आगरा कोषागार	455000	100000	565000	10000	50000	15000	0	12000	0	5000	100000	0	25000	1337000
मुरादाबाद कोषागार														
जि0पि0व0क0अधि0 मुरादाबाद	275000	100000	340000	5000	28000	10000	0	5000	0	0	100000	0	20000	883000
उपनिदेशक पि0व0क0मुरादाबाद मण्डल	180000	0	225000	5000	22000	5000	0	2000	0	5000	0	0	5000	449000
योग मुरादाबाद कोषागार	455000	100000	565000	10000	50000	15000	0	7000	0	5000	100000	0	25000	1332000
कानपुर नगर कोषागार														
जि0पि0व0क0अधि0 कानपुर नगर	275000	100000	340000	5000	28000	10000	0	5000	0	0	100000	0	20000	883000
उपनिदेशक पि0व0क0 कानपुर मण्डल	60000	0	75000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	143000
योग कानपुर नगर कोषागार	335000	100000	415000	5000	36000	10000	0	5000	0	0	100000	0	20000	1026000
लखनऊ कलेक्ट्रेट कोषागार														
जि0पि0व0क0अधि0 लखनऊ	275000	100000	340000	5000	28000	10000	0	5000	0	0	100000	20000	20000	903000
उपनिदेशक पि0व0क0 लखनऊ मण्डल	500000	0	600000	5000	75000	260000	25000	10000	70000	10000	30000	0	25000	1610000
योग लखनऊ कलेक्ट्रेट कोषागार	775000	100000	940000	10000	103000	270000	0	15000	0	10000	130000	20000	45000	2513000

1— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/2016/बी–1–746/ दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3— आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4— आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

5— समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10–12–1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0–8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

8— आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

9— यदि बी0एम0—8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण—वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

10— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

11— एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12— कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।

13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप—मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

14— बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।

15— व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 1— मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
 2— प्रारम्भिक / व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2016 तक।
 3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2016 तक।
 4— वर्ष 2016—17 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2017 तक।
 5— वर्ष 2016—17 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2017 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पृ0सं0: 001डीबीए / 117 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2016—17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0—2
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी